

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर  
पीठासीन अधिकारी दाताराम, आर.ए.एस.

अपील संख्या 225/आरटीए/2018/200  
(कंप्युटराजेशन संख्या 2018/00431)

1. राधेश्याम पुत्र बंशीराम ढोली
2. ओमाराम पुत्र बंशीराम ढोली  
निवासीगण सेवकीकलां, तहसील बावडी  
जिला जोधपुर

.... अपीलाण्डस

ब  
ना  
म

राजस्थान सरकार  
जरिये तहसीलदार बावडी,  
जिला जोधपुर

.... रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी  
अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी बावडी दिनांक 22 फरवरी 2018  
राजस्व प्रकरण संख्या 61/2018 तहसीलदार बनाम  
राधेश्याम

---- 0 ----

उपस्थित --  
श्री बी. एल. विश्नोई, वकील अपीलाण्ट  
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक : 31 दिसम्बर, 2018

राजस्व अपील प्राधिकारी  
जोधपुर

अपील संख्या 225/आरटीए/2018/200

(कंप्यूटराजेशन संख्या 2018/00431)

विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावडी द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 61/2018 राधेश्याम बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 22 फरवरी 2018 के रिक्लाफ अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 30 नवम्बर 2018 को पेश की गयी है।

अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया गया। जिसके आधार पर अपील बउज मियाद दर्ज रजिस्टर की गयी।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार बावडी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश कर तहसील बावडी के राजस्व ग्राम सेवकीकलां स्थित आराजी खसरा संख्या 139/28 रकबा 3 बीघा एवं खसरा संख्या 116/2 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा कुल रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा भूमि बारानी सोयम की खातेदारी अपीलाण्ट-अप्रार्थी के नाम दर्ज होना, अप्रार्थी-अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि का खातेदारी शर्तों का उल्लंघन करते हुए औद्योगिक प्लांट एवं खनन सामग्री सहित अकृषि कार्य किया जाना जाहिर किया और नियमानुसार उक्त भूमि रकबा राज घोषित की जाकर कब्जा बहक सरकार दिलाया जावे। इसके साथ ही तहसीलदार बावडी द्वारा एक अन्य प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश कर मूल दावे के निस्तारण तक यथास्थिति के आदेश पारित किये जाने का भी निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 22 फरवरी 2018 को दर्ज किया जाकर धारा 151 सीपीसी के प्रार्थनापत्र के आधार पर

अपील संख्या 225/आरटीए/2018/200  
(कंप्यूटराजेशन संख्या 2018/00431)

अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी और अप्रार्थी-अपीलाण्ट की तलबी हेतु नोटिस जारी करते हुए आगामी तारीख पेशी 15 मार्च 2018 नियत की गयी। उक्त आदेश दिनांक 22 फरवरी 2018 के खिलाफ अपीलाण्ट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत आलौच्य अपील पेश की गयी है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान वकील अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों और धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारिज कर दिया गया, जो न्यायोचित नहीं है। धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रार्थनापत्र पेश होने पर अप्रार्थी को विधिवत तलब किया जाकर उसे पक्ष प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर दिया जाने के बाद ही प्रश्नगत भूमि बाबत कोई निर्णय लिया जा सकता है, मगर आलौच्य मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत कोई कार्यवाही नहीं की गयी, क्योंकि धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पहले प्रार्थनापत्र पेश होता है, जिसे न्यायालय शुल्क अदा किये जाने पर नियमित वाद में परिवर्तित किया जाता है, यह एक आज्ञापक प्रावधान है, जिसकी आलौच्य प्रकरण में पालना नहीं की गयी है। ज्ञातव्य है कि यदि प्रश्नगत भूमि सरकारी हो तो ही न्यायालय शुल्क देय नहीं होता है, अन्यथा न्यायालय शुल्क अदा किये जाने के बाद ही प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जा सकता है। धारा 177 राजस्थान

अपील संख्या 225/आरटीए/2018/200  
(कंप्यूटराजेशन संख्या 2018/00431)

काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रकरण में परिसीमा लागू होती है, अतः वादकारण की उत्पत्ति की तारीख मामले में वर्णित किया जाना अनिवार्य है, मगर आलौच्य मामले में इस आज्ञापक प्रावधान की भी पालना नहीं की गयी है। मियाद के संबंध में विद्वान वकील अपीलाण्ट द्वारा जाहिर किया गया कि अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया, जो नोटिस दिया गया, वह अपीलाण्ट को व्यक्तिगत तामील नहीं हुआ, न्यायालय के आदेश के बिना चरुपांदगी के जरिये तामील सम्यक एवं समुचित तामील नहीं मानी जा सकती। इसके उपरान्त भी अपीलाण्ट द्वारा अधिवक्ता नियुक्त कर दिया गया था, मगर अपीलाधीन आदेश बाबत साफ तौर पर अपीलाण्ट के अधिवक्ता द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया, मात्र यही कहा जाता रहा कि बिना सुनवाई के न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। दीपावली के बाद मौके पर दिनांक 12 नवम्बर 2018 पटवारी हळका द्वारा पर नापजोख की जाने लगी तो अपीलाण्ट द्वारा उससे उसके इस कृत्य बाबत पूछताछ करने पर अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश बाबत भान हुआ और अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर 16 नवम्बर 2018 को अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु आवेदन किया, 20 नवम्बर 2018 को नकल प्राप्त हुई, तब पुनः अधिवक्ता से सम्पर्क कर बाद आवश्यक कार्यवाही आलौच्य अपील अदालत हाजा में पेश की गयी है, जो मियादशुमार की जाकर मेरिट पर स्वीकार की जावे।

जबाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और अपील अपीलाण्ट मियाद-बाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज किये जाने का अनुरोध किया।



अपील संख्या 225/आरटीए/2018/200  
(कंप्यूटराजेशन संख्या 2018/00431)

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आधोपान्त गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। आलौच्य मामले में धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के साथ धारा 151 सीपीसी के प्रार्थनापत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गयी है, जबकि वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अपीलाण्ट-अप्रार्थी का होना एवं अपीलाण्ट-अप्रार्थी वादग्रस्त आराजी का रिकार्ड्ड खातेदार होना सुस्वीकृत तथ्य है। धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के मामले में प्रार्थनापत्र पेश होने पर अप्रार्थी को विधिवत तलब किया जाकर उसे पक्ष प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर दिया जाने के बाद ही प्रश्नगत भूमि बाबत कोई निर्णय लिया जा सकता है, मगर आलौच्य मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत कोई कार्यवाही आरम्भ ही नहीं की गयी, अपितु मात्र धारा 151 सीपीसी के तहत अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार जारी कर दी गयी जैसे वादग्रस्त भूमि पहले से ही राजकीय भूमि चली आ रही हो। उल्लेखनीय है कि अपीलाण्ट-अप्रार्थी वादग्रस्त आराजी का रिकार्ड्ड खातेदार एवं काबिज पक्षकार है, जिसे चुनपाइ पा अपसर दय षना कसा भा प्रकार का निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है।

जहाँ तक अपील पेश करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, विभिन्न मामलों में समय-समय पर माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा यह प्रतिपादित किया जा चुका है कि जहाँ प्रकरण गुणावगुण पर सारवान पाया जावे, वहाँ मियाद जैसे तकनीकी बिन्दु पर प्रकरण खारिज कर पक्षकार के लिये न्याय के द्वार अवरुद्ध कर देना और कुछ नहीं, न्याय का उपहास मात्र

अपील संख्या 225/आरटीए/2018/200  
(कंप्यूटराजेशन संख्या 2018/00431)

है। है। अतः इन प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में मियाद प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील मियादशुमार की जाती है।

चूंकि आलौच्य मामले में प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं कब्जा अपीलाण्ट-अप्रार्थी के हक में स्पष्ट प्रतीत होने के उपरान्त भी अपीलाण्ट-अप्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उसके खिलाफ अंतरिम अस्थायी जारी करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 22 फरवरी 2018 पारित कर दिया गया, जो न्यायोचित नहीं होने से तदनुसार खारिज किया जाता है और अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31 दिसम्बर 2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*Devendra*  
31/12/18

(दाताराम) राजस्व अपील प्राधिकारी  
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर